



छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

KALYANPUR, KANPUR-208024

कल्याणपुर, कानपुर-208024

दिनांक : 22/12/2021

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./सा.प्रशा./5632/2021

सेवा में,

1. समस्त डीन/निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी, परिसर, सी.एस.जे.एम.विश्वविद्यालय, कानपुर।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, सम्बद्ध महाविद्यालय, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 में रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के संलग्न पत्र संख्या-2521/सत्तर-4-2021 दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, वित्तीय वर्ष 2021-22 में रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में है।

शासन के उक्त पत्र में उल्लेख किया गया है कि रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों से सुसंगत प्रस्ताव शासन को दिनांक 31.05.2021 तक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु अभी तक कई विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा उक्त योजनान्तर्गत प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों से सम्बन्धित प्रस्ताव पर सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त उ०प्र० उच्च शिक्षा परिषद/समिति, लखनऊ एवं शासन को प्रत्येक दशा में दिनांक 27.12.2021 तक उपलब्ध कराना है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि शासन के उपरोक्त निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करने/कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

डॉ० (अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त डीन, सी.एस.जे.एम.वि.वि, कानपुर।
2. कुलानुशासक, सी.एस.जे.एम.वि.वि, कानपुर।
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, सी.एस.जे.एम.वि.वि, कानपुर।
4. समन्वयक, पी०एम०यू० को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट के होम पेज पर एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के कालेज लागिन पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ ।
6. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव जी।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

ई-मेल/अनुसारक
संख्या-2524/सत्तर-4-2021

प्रेषक,

सुनाप चन्द शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश प्रशासन।
- 2-कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्यक : दिनांक 10 दिसम्बर, 2021

विषय:-द्वितीय वर्ष 2021-22 में दिखन एण्ड डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में।

भ्रष्टाचार,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-803/सत्तर-4-2021, दिनांक 02.04.2021 द्वारा सिचन एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के संबंध में निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार उक्त योजनान्तर्गत विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से सुसंगत प्रस्ताव शासन को दिनांक 31.05.2021 तक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे। शासन के पत्र संख्या-1895/सत्तर-4-2021, दिनांक 17.09.2021 एवं पत्र संख्या 1960/सत्तर-4-2021, दिनांक 27.09.2021 द्वारा पुनः सुसंगत प्रस्ताव 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु अभी तक कई विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा उक्त योजनान्तर्गत प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

2- अतः इस संबंध में मुझे पुनः बत कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से संबंधित प्रस्ताव पर सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरांत उक्त राज्य उच्च शिक्षा परिषद/समिति, लखनऊ एवं शासन को प्रेषण करना न दिनांक 27.12.2021 तक उपलब्ध कराने का कार्य करें।

मुख्य सचिव

(सुनाप चन्द शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तथैव

प्रतिष्ठिति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

- 1 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2 समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
संगुप्त सचिव।